पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) सं.3181

थाना कांड सं.–536 वर्ष–2020 थाना–बेगुसराय शहर जिला–बेगुसराय, से उत्पन्न

==

अनीता देवी, गुप्तेश्वर पासवान की पत्नी, आर/ओ–कपासिया हरख, पी. एस.–नगर, जिला–बेगुसराय

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/गण

==

2022 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं.760

में

2022 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) सं. 4009

थाना कांड सं.–536 वर्ष–2020 थाना–बेगुसराय शहर जिला–बेगुसराय, से उत्पन्न

==

1. अमरजीत कुमार, शंकर ठाकुर का पुत्र, नि/गाँव–मुश्रिटोला, वार्ड सं. 12, सिंघौल, थाना–मुफसिल (सिंघौल), जिला–बेगुसराय
2. गौरव कुमार, मुनीश चौधरी के पुत्र, नि./ग्राम–राजापुर, वार्ड संख्या 7, पी. एस.–मुफासिल, जिला–बेगुसराय
3. सुमित कुमार, रामस्वराथ के पुत्र उर्फ रोम सोगरथ महतो, नि/गाँव–नागदा, थाना–मुफसिल (सिंघौल), जिला–बेगुसराय
4. हिमांशु कुमार, राम बालक साव के पुत्र, नि. बिशनपुर, वार्ड संख्या–43, पी. एस.–नगर, जिला–बेगुसराय

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता/गण

= =

पीड़ित के ढीले चरित्र की कोई धारणा नहीं–पीड़ित द्वारा कोई शारीरिक संबंध या अवैध गतिविधि स्थापित नहीं–बरामदगी का स्थान के विवरण के रूप में बयान पुष्टि करता है–आरोपी आरोप का खंडन करने के लिए पीड़ित से जिरह करके किसी भी तथ्य को उजागर करने में सफल नहीं हुआ–पीड़ित का सबूत विश्वसनीय और भरोसेमंद है।(पैरा–18, 20, 21)

चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम है और सीआरपीसी की धारा 164 और ओस्सिफिकेशन परीक्षण के तहत बयान–गवाहों का पर्याप्त साक्ष्य–पीड़ित द्वारा पहचाना गया ए1–ए1 के घर से आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी–ए1 की विश्वसनीय भागीदारी–ए1 की दोषसिद्धि उचित और कानूनी प्रतीत होती है।(पैरा–22, 24, 25)

ए2 से ए5 की दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं–पीड़ित द्वारा पहचाने नहीं गए–केवल उनकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं है–ए2 से ए5 की दोषसिद्धि उचित नहीं है और कानूनी नहीं है पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत–ए1 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया–ए2 से ए5 की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया।(पैरा–26, 27 और 28)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) सं.3181

थाना कांड सं.–536 वर्ष–2020 थाना–बेगुसराय शहर जिला–बेगुसराय, से उत्पन्न

= =

अनीता देवी, गुप्तेश्वर पासवान की पत्नी, आर/ओ–कपासिया हरख, पी. एस.–नगर, जिला–बेगुसराय

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/गण

= =

2022 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं.760

में

2022 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) सं. 4009

थाना कांड सं.–536 वर्ष–2020 थाना–बेगुसराय शहर जिला–बेगुसराय, से उत्पन्न

= =

1. अमरजीत कुमार, शंकर ठाकुर का पुत्र, नि/गाँव–मुश्रिटोला, वार्ड सं. 12, सिंघौल, थाना–मुफसिल (सिंघौल), जिला–बेगुसराय
2. गौरव कुमार, मुनीश चौधरी के पुत्र, नि./ग्राम–राजापुर, वार्ड संख्या 7, पी. एस.–मुफासिल, जिला–बेगुसराय
3. सुमित कुमार, रामस्वराथ के पुत्र उर्फ रोम सोगरथ महतो, नि/गाँव–नागदा, थाना–मुफसिल (सिंघौल), जिला–बेगुसराय
4. हिमांशु कुमार, राम बालक साव के पुत्र, नि. बिशनपुर, वार्ड संख्या–43, पी. एस.–नगर, जिला–बेगुसराय

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता/गण

= =

उपस्थितिः

(2022 के आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) संख्या 3181 में)

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

सुश्री प्रीति, अधिवक्ता

श्री रवि कुमार पांडे, अधिवक्ता

सुश्री श्रेया झा, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिएः श्री रामचंद्र सिंह, अ.लो.अभि.

(2022 की आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 4009 में)

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री अशोक कुमार झा अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के लिएः श्री बिपिन कुमार, अ.लो.अभि.

= =

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

सी. ए. वी. निर्णय

तारीखः 22–03–2024

1. चूँकि दोनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका निर्णय एक समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. राज्य की ओर से पेश होने वाले अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अ.लो.अभि. को सुना।

3. इस फैसले में अपीलकर्ताओं अनीता देवी, अमरजीत कुमार, गौरव कुमार, सुमित कुमार और हिमांशु कुमार को क्रमशः ए 1, ए 2, ए 3, ए 4 और ए 5 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

4. अपीलकर्ताओं ने दिनांक आई. डी. 2 के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें विशेष अदालत (पॉक्सो अधिनियम)–सह–6 वें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय की

अदालत द्वारा पॉक्सो मामला संख्या 35/2020 4 में दोषी ठहराया गया है जो बेगुसराय शहर थाना कांड संख्या 536/2020 से उत्पन्न होता है और उन्होंने उस सजा के आदेश दिनांकित 02.08.2022 को भी चुनौती दी है जिसमें उन्हें उन अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है।

5. अपीलकर्ता ए–1 अनीता देवी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 346, 367, 370, 370 ए, 372, 373, 376(सभी धारा 34 के साथ) और भारतीय दंड संहिता(संक्षेप में भा.दं.सं.)की धारा 120 बी के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था और साथ ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम(संक्षेप में पॉक्सो अधिनियम) की धारा 4, 6, 12 और 17 के तहत अपराधों के लिए भी आरोप लगाया गया था तथा अनैतिक व्यापारा(रोकथाम) अधिनियम(संक्षेप में आई.टी.पी. अधिनियम) की धारा 3, 4, 5 तथा 6 के अंतर्गत अपराधों के लिए भी आरोपित किया गया, सभी को भा.दं.स. की धारा 34 के साथ पढा गया तथा किशोर न्याय अधिनियम(संक्षेप में जे.जे.अधिनियम) की धारा 75 तथा 79 के अंतर्गत अपराधों के लिए भी आरोपित किया गया, जिसे भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पढ़ा गया तथा बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30(ए) के अन्तर्गत भी आरोपित किया गया। अन्य अपीलकर्ताओं (ए 2 से ए 5) को ए 1 जैसे ही अपराधों के लिए आरोपित किया गया।

6. निचली अदालत ने अपीलार्थी सं. 1 आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी है। उन्हें अन्य अपराधों से बरी कर दिया गया था जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

7. निचली अदालत ने अपीलकर्ता ए 2 से ए 5 को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें अन्य आरोपित अपराधों से बरी कर दिया गया।

8. निचली अदालत ने अपीलकर्ता ए 1 को एक साल के कठोर कारावास और 1,000/– रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माने का भुगतान न करने पर भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ पठित आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। उन्हें एक साल के लिए साधारण कारावास की सजा और 1,000/–रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। और जुर्माने का भुगतान न करने पर आगे

आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध करने के लिए एक महीने के लिए साधारण कारावास। उन्हें तीन साल के लिए कठोर कारावास और 1,000/–रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ पठित आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध करने के लिए एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। उन्हें सात साल के लिए कठोर कारावास की सजा और 10,000/– रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ पठित आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध करने के लिए छह महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा और उसे दस साल के लिए कठोर कारावास और 50,000/– रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी और जुर्माने का भुगतान न करने पर भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ पठित पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अपराध करने के लिए छह महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। इन सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

9. निचली अदालत ने अपीलकर्ता ए 2, ए 3, ए 4 और ए 5 को 10 साल के कठोर कारावास और 50,000/– प्रत्येक रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, छह महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।

भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ पठित पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अपराध के लिए।

अभियोजन की कहानीः–

10. अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी यह है कि मुखबिर, अनुमंउल पदाधिकारी को एक मोहम्मद जाहिद हुसैन से जानकारी मिली थी। जस्टिस वेंचर्स इंडिया ट्रस्ट के एक सदस्य, ज़ाहिद हुसैन ने कहा कि अपीलकर्ता ए 1 विभिन्न स्थानों से नाबालिग लड़कियों को लाकर वेश्यावृत्ति में लिप्त था और उसके बाद, सूचना देने वाला पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, निशित प्रिया के नेतृत्व में। उक्त स्थान पर छापा मारा और पीड़ित और कई आपत्तिजनक वस्तुओं को बरामद किया और उक्त वस्तुओं को भी जब्त कर लिया। मुखबिर के अनुसार, गुप्त जानकारी को सत्यापित करने के लिए, कई पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों वाली एक पुलिस टीम, सभी नगर थाना, बेगुसराय में तैनात हैं, जिसमें मोहम्मद जाहिद हुसैन भी शामिल हैं। जे. वी. आई. ट्रस्ट के सदस्य ज़ाहिद

हुसैन समेत गठन किया गया था। पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में टीम ने अपीलार्थी ए1 के घर पर छापा मारा और उस समय लगभग 16 वर्ष की एक नाबालिग लड़की को बरामद किया, जिसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा था और वह आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई और अपीलार्थी ए1, सह–दोषी रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन और अन्य अपीलार्थी को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।इसके बाद, अपीलार्थी ए1 के घर की तलाशी ली गई और कई प्रयुक्त और अप्रयुक्त कंडोम, कामुक कैप्सूल, सी. पी. यू., वेब कैमरा, कई चेक बुक

ए1 के नाम से और एक ए. टी. एम. कार्ड, कई लोगों के मोबाइल नंबर वाली एक छोटी डायरी, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन के 10 सेट, शराब की कई खाली बोतलें, एक ई. पी. इपसन बिलिंग मशीन और विभिन्न मूल्यवर्ग की कुछ भारतीय मुद्रा बरामद की गई।गवाहों की उपस्थिति में इन जब्त सामग्री के संबंध में एक जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था और जब पीड़ित से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम और पता बताया और यह भी बताया कि वह एक साल पहले वसंत कुमार नाम के एक व्यक्ति के साथ दिल्ली गई थी, जहां उसे उक्त वसंत कुमार ने अकेला छोड़ दिया था और उसके बाद, वह एक ट्रेन से पटना आई थी, जहां उसे एक व्यक्ति द्वारा रखा गया था और उसे पटना के उक्त व्यक्ति द्वारा अपीलकर्ता ए1 के घर पर बेगुसराय लाया गया था और वह पिछले एक महीने से ए1 के घर में रह रही थी।पीड़ित ने आगे आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ए1 और सह–दोषी रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन ने उसे वेश्यावृत्ति से गुजरने के लिए मजबूर किया और वे प्रत्येक से 1,000/– रुपये लेकर लोगों को लाए। और जब उसने वेश्यावृत्ति में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो उनके द्वारा उस पर हमला किया गया और दोनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया जो बाहर से बंद था।पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि उसे हर दिन 10–12 व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने पड़ते थे।

11. इस मामले के मुखबिर अनुमंडल पदाधिकारी मदन कुमार सिंह ने उपरोक्त आरोपों का वर्णन करते हुए एक लिखित प्राथमिकी (प्रदर्श पी.–6) दायर की। उपरोक्त आरोपों के आधार पर, भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 346, 367, 370, 370 (ए), 372, 373, 376, 120 (बी), पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 12 और 17 के तहत, आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत, जे. जे. अधिनियम की धारा 75 और 79 के तहत और बिहार निषेध

और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसने आपराधिक कानून को गति प्रदान की।

12. जाँच पूरा होने के बाद, पुलिस ने अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया और ज्ञात विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम ने कथित अपराधों का संज्ञान लिया और उसके बाद, अपीलार्थियों पर उपरोक्त तरीके से आरोप लगाया।

<u>अपीलार्थियों के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियाँः–</u>

13. अपीलार्थी अनीता देवी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री संजीव कुमार ने तर्क दिया है कि पीड़ित का बयान कथित घटना के कई दिनों बाद 14.10.2020 पर दर्ज किया गया था और उसके बयान की पुष्टि करने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं।यह आगे तर्क दिया गया है कि इस मामले में, अभियोजन पक्ष आरोपित अपराधों को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति से पूछताछ करने में विफल रहा और अभियोजन छापामारी स्थल पर या उसके पास कई स्थानीय लोग जमा होने के बावजूद उनमें से किसी को भी गवाह नहीं बनाया गया।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि शुरू में पीड़ित वसंत कुमार नामक व्यक्ति के साथ दिल्ली गई थी, जहाँ वह कई महीनों तक रही और उसके बाद, वह पटना में अकेली आ गई और उस समय तक, उक्त पीड़ित के परिवार का कोई भी सदस्य गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आया।इसलिए इन तथ्यों से, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि तथाकथित पीड़ित का चरित्र ढीला था और उसे केवल एक व्यक्ति के साथ कथित स्थान पर बरामद किया गया था और उसने पुलिस के सामने कहा कि उक्त व्यक्ति ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था।

यह आगे तर्क दिया गया है कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई घटना नहीं हुई और अभि.ग.1–पीड़ित के बयान और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य के बीच गंभीर विरोधाभास हैं और पीड़ित का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि अभि.ग.–10 द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, तथाकथित पीड़ित के यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए भेदक यौन हमले का आरोप चिकित्सा साक्ष्य और आ.दं.सं. की धारा 100 (4) के प्रावधानों के साथ पुष्टि

नहीं करता है। कथित स्थान की तलाशी के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया था और अभियोजन पक्ष के गवाहों का सबूत तथाकथित पीड़ित के साथ भेदक यौन हमले के अपराध का आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं था क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने मामले के मूलभूत तथ्यों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।विद्वान वकील ने आगे कहा कि कथित स्थान पर, केवल एक लड़की (पीड़ित) को बरामद किया गया है, इसलिए उक्त स्थान को *वेश्यालय* नहीं माना जा सकता है और पीड़ित लड़की के साक्ष्य के अनुसार, उसके साथ केवल एक व्यक्ति पाया गया था जिसने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था और अन्य चार व्यक्ति (अपीलकर्ता ए 2 से ए 5) जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कथित स्थान पर पाए गए थे, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार पीड़ित के साथ मौजूद नहीं थे।

14. अपीलार्थी ए 2 से ए 5 की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अशोक कुमार झा ने तर्क दिया कि तथाकथित पीड़ित इनमें से किसी भी अपीलार्थी (ए 2 से ए 5) की पहचान करने में विफल रही जब उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से उसके सामने पेश किया गया और जांच अधिकारी के बयान के अनुसार, अपीलार्थी ए 3 को इप्सन मशीन के साथ पकड़ा गया था जिसका उपयोग बिजली का बिल बनाने के लिए किया जाता है, वास्तव में अपीलार्थी ए 2 से ए 5 बिजली का बिल बनाने के लिए ए 1 के घर गए थे और वे उसके घर के बाहर पाए गए जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया था और अपीलार्थी ए 2 से ए 4 तक विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं जबकि अपीलार्थी ए 5 अपीलार्थी ए 2 से ए 4 के साथी के रूप में उपस्थित था।

<u>विद्वान अ.लो.अभियोजकों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणः–</u>

15. श्री रामचंद्र सिंह और श्री बिपिन कुमार, राज्य की ओर से पेश विद्वान एपीपी ने दोनों अपीलों और उनके द्वारा की गई सामान्य दलीलों का जोरदार विरोध किया है कि अपीलार्थी ए 1 के घर से, पीड़ित को एक व्यक्ति के साथ बरामद किया गया था और अनैतिक गतिविधि में उपयोग की गई कई आपत्तिजनक वस्तुओं को उक्त अपीलार्थी के घर से जब्त किया गया था और पीड़ित अपने आरोपों के अनुरूप रही और इन सभी अपीलार्थियों के खिलाफ उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में उसका सबूत पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद है।यह आगे प्रस्तुत

किया जाता है कि हालांकि चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, पीड़ित के साथ हाल ही में यौन उत्पीड़न का कोई संकेत नहीं मिला था, लेकिन पीड़ित के साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता ए1 और सह–दोषी रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन द्वारा उसे बहुत ही सुनियोजित और संगठित तरीके से वेश्यावृत्ति की अनैतिक गतिविधि के अधीन किया जा रहा था, इसलिए ऐसी स्थिति में, पीड़ित व्यक्ति पर हाल ही में यौन उत्पीड़न का कोई संकेत मिलने की कोई संभावना नहीं थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने ए1 के घर से पीड़ित की बरामदगी और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं को साबित किया और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, पीड़ित की उम्र चिकित्सीय जाँच के समय 15 से 16 वर्ष थी इसलिए 2022 का एपीपी (एसजे) No.3181 दिनांक।

वह एक नाबालिग लड़की थी जब उसके साथ पॉक्सो अधिनियम का कथित अपराध किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ए1 और सह–दोषी ने अपने घर का उपयोग वेश्यालय के रूप में किया और पीड़ित को वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए मजबूर किया और इस अधिनियम द्वारा, उन्होंने पैसा कमाया और इन कृत्यों के कारण पीड़ित, जो 18 वर्ष से कम उम्र की थी, ग्राहकों के साथ भेदक यौन उत्पीड़न का शिकार हुई, इसलिए, सभी अपीलार्थियों को कथित अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और इन अपीलों में कोई बल नहीं है और दोनों अपीलें खारिज होने योग्य हैं।

<u>विश्लेषण और निष्कर्षः–</u>

16. दोनों पक्षों को सुना और विवादित फैसले और निचली अदालत के मामले के अभिलेख पर उपलब्ध सबूतों का अध्ययन किया और दोषियों/अपीलार्थियों के बयानों का भी अध्ययन किया।

17. आरोप के अनुसार, अपीलार्थी ए1 और उसकी बेटी रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन वेश्यावृत्ति की अनैतिक गतिविधि में लिप्त थे और इस उद्देश्य के लिए, पीड़ित को पटना के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें सौंप दिया गया था और अपीलार्थी ए1 और उसकी बेटी ने उन्हें कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर किया था जिन्हें ग्राहक के रूप में बुलाया गया था और उसके बाद, अभि.ग.–11/मोहम्मद। जाहिद हुसैन, एक गैर सरकारी संगठन के सदस्य हैं। जस्टिस वेंचर्स इंडिया ट्रस्ट के सदस्य हैं, ने गुप्त सूचना देकर अपीलकर्ता ए1 के

घर में की जा रही उक्त अवैध गतिविधि के बारे में पुलिस को अवगत कराया और फिर कई पुलिस अधिकारियों की एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने अपीलकर्ता ए1 के घर पर छापा मारा और छापेमारी करने पर पीड़ित को कंडोम, मोबाइल फोन, वेब कैमरा, चेक बुक, ड्रग्स, खाली शराब की बोतलें और विभिन्न मूल्यवर्ग की भारतीय मुद्रा जैसी कई आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ बरामद किया गया और अपीलकर्ता ए2 से ए5 तक भी अपीलकर्ता ए1 के घर में पाए गए और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, उन्होंने कहा। ग्राहक के रूप में उपस्थित थे।

18. उपरोक्त आरोपों के आलोक में, अभियोजन पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण गवाह पीड़ित लड़की है जिसे अपीलार्थी ए1 के घर से बरामद किया गया है और अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से उसके साक्ष्य पर निर्भर करता है। पीड़ित की जांच अभि.ग.–1 के रूप में की गई। उसने अपदस्थ किया कि वह कथित घटना से एक साल पहले वसंत कुमार नाम के एक व्यक्ति के साथ दिल्ली गई थी और उसके बाद, वह पटना पहुंची जहां एक व्यक्ति ने उससे मुलाकात की और उसे अच्छा रोजगार देने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने उसे अपीलार्थी ए1 को 10,000/– (दस हजार रुपये) रुपये में बेच दिया। । उसने आगे बयान दिया कि अपीलार्थी ए1 और उसकी बेटी रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन ने उसके भोजन में कुछ नशीली गोलियां मिलाईं और उसके बाद, उसे उक्त खाना और जब उसने वही खाने से इनकार कर दिया, तो उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और दोनों ने 1,000/– (एक हजार रुपये) रुपये प्रत्येक ग्राहक से और उसे ग्राहकों के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर किया।उसने आगे कहा कि कथित दिन की रात लगभग 8:00 बजे पुलिस ने ए1 के घर पर छापा मारा और शराब की बोतलें, कंडोम आदि बरामद कीं और उस समय ए1 और रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित से ए1 और रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन ने लंबी जिरह की और जिरह में उसने कहा कि वह जुलाई 2019 के महीने में वसंत कुमार के साथ दिल्ली गई थी, जहां वह उसके साथ 8–9 महीने तक रही और वह उस घर का विवरण नहीं बता सकी, जहां वह रहती थी, लेकिन उसने उक्त वसंत कुमार की पत्नी के रूप में रहने से इनकार कर दिया और आगे कहा कि वह वर्ष 2020 में पटना लौट आई, जहां वह किसी के साथ एक महीने तक रही, हालांकि वह उक्त व्यक्ति का विवरण नहीं दे सकी क्योंकि वह उसका नाम नहीं जानती थी, लेकिन उसने पटना के व्यक्ति पति और पत्नी के रुप में उसके साथ कोई संबंध बनाने से इनकार कर दिया। ने कहा। इन तथ्यों से एक बात स्पष्ट है कि पीड़िता पहले दिल्ली गई और उसके बाद पटना

लौट आई, लेकिन उसने उन लोगों के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया, जिनके साथ वह वहां रहती थी।बहस के दौरान, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि तथाकथित पीड़ित के पास चरित्र खराब था जो उसके आचरण से दिल्ली और पटना जाने और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ रहने के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।लेकिन पीड़ित द्वारा बताए गए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि पीड़ित का चरित्र ढीला था क्योंकि जिरह में, उसने शारीरिक संबंध स्थापित करना या उन व्यक्तियों के साथ कोई अन्य अवैध गतिविधि करना स्वीकार नहीं किया जिनके साथ वह दिल्ली और पटना में रहती थी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह खुद परिस्थितियों की शिकार हुई थी।

19. अभि.ग.–1, पीड़ित ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा–9 में कहा कि ए1 के घर में कई कमरे थे और उसे एक बीच के कमरे के अंदर रखा गया था और उस कमरे के ऊपर और नीचे भी कमरे थे जहां उसे रखा गया था।पीड़ित ने स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त घर ए1 का था।

20. पीडब्लू–11, एन. जी. ओ. के सदस्य मो. ज़ाहिद हुसैन, जिन्होंने शुरू में ए1 के घर में चल रही अवैध गतिविधि के बारे में पुलिस को सूचित किया और वह उस पुलिस दल का भी हिस्सा थे जिसने ए1 के घर पर छापा मारा और उन्होंने कहा कि ए1 के घर में दो मंजिलें थीं।यह बयान बरामदगी के स्थान के विवरण के रूप में पीड़ित के बयान की पुष्टि करता है।

21. पीड़ित ने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने ए1 के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था और उसे झूठे मामले में फंसाया था।अभियुक्त/अपीलार्थी ए1 पीडिता से जिरह करके कोई तथ्य उजागर करने में सफल नहीं हुआ, जिससे मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया जा सके इसलिए, पीड़ित का साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रतीत होता है।

22. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए1 के घर से बरामद होने के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी। कुछ परिस्थितियाँ हैं जो इस उम्र के पक्ष में हैं। सबसे पहले, पीड़िता ने खुद निचली अदालत के समक्ष अपना साक्ष्य दर्ज करते समय और साथ ही न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज करते समय अपनी उम्र 16 वर्ष होने का खुलासा किया।दूसरा, निचली अदालत के साथ–साथ न्यायिक दंडाधिकारी जिन्होंने दं.प्र.सं की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया, ने भी उस समय पीड़ित की उम्र 16 वर्ष होने का आकलन किया और तीसरी सबसे

महत्वपूर्ण परिस्थिति और साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य है।पीड़ित की उम्र का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच की गई और बोर्ड ने ऑसिफिकेशन जाँच के आधार पर उसकी उम्र 15 से 16 वर्ष का आकलन किया और इस संबंध में अभि.ग.–8 का साक्ष्य प्रासंगिक है। गवाह ने गवाही दी कि पीड़ित के अंतिम दाढ़ के दांत मैंडिबल के दोनों तरफ नहीं फूटे थे।मोदी न्यायशास्त्र के अनुसार, अधिकांश मामलों में अंतिम दाढ़ के दांत 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच निकलते हैं, इसलिए इस चिकित्सा साक्ष्य को देखते हुए, पीड़ित लड़की को उसकी जांच के समय 18 वर्ष से कम माना जा सकता है क्योंकि उसके अंतिम दाढ़ के दांत नहीं निकले थे। इसके अलावा, इन परिस्थितियों का खंडन करने के लिए, अपीलार्थियों द्वारा अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया गया है।

23. पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 (1) का दंडात्मक प्रावधान तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति अपने लिंग को किसी भी हद तक बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसाता है या *बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है।* वर्तमान मामले में, अभि.ग.–1 के साक्ष्य को देखते हुए, कई व्यक्तियों ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जिसके लिए ए1 ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।इसलिए, ए1 का कथित कार्य स्पष्ट रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 (1) के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करता है।

24.अपीलार्थी ए1 को आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 3,4,5 और 6 के तहत अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया है। ए1 के घर से पीड़ित के साथ पुलिस दल द्वारा कई प्रयुक्त और अप्रयुक्त कंडोम, शराब की बोतलें, कई चेक बुक, सीपीयू, मोबाइल फोन, विभिन्न मूल्यवर्ग की नकद राशि, ड्रग्स आदि बरामद किए गए और इस संबंध में अभि.ग.–2, अभि.ग.–4, अभि.ग.–5, अभि.ग.–6, अभि.ग.–9 और अभि.ग.–11 के साक्ष्य बहुत प्रासंगिक हैं।इन सभी गवाहों ने ए–1 के घर से उक्त वस्तुओं की बरामदगी का पूरा समर्थन किया।हालाँकि अभियोजन पक्ष इन वस्तुओं को निचली अदालत के समक्ष पेश करने में विफल रहा, लेकिन इन गवाहों के साक्ष्य कथित वस्तुओं की बरामदगी को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं क्योंकि उन्होंने बरामद वस्तुओं के संबंध में तैयार किए गए जब्ती ज्ञापन को साबित किया। पीडब्लू–2 ने बयान दिया कि जब्ती सूची 9:32 बजे अपराह्न में 07.10.2020 को तैयार की गई थी। जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिसे प्रदर्श–2 के रूप में चिह्नित और प्रदर्शित किया गया

था।उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा–22 में आगे कहा कि जब्त की गई वस्तुओं के संबंध में जब्ती सूची तैयार की गई थी और वह जब्त की गई वस्तुओं का विवरण दे सकती है।

25. अभि.ग.–9 ने कहा कि ए1 और रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन के कमरों से कई इस्तेमाल किए गए और अप्रयुक्त कंडोम, मोबाइल फोन, विभिन्न मूल्यवर्ग की भारतीय मुद्रा, वेब कैमरा, सीपीयू और शराब की खाली बोतलें बरामद की गईं और इन वस्तुओं की जब्ती सूची भी उसके द्वारा तैयार की गई थी।गवाह ने जब्ती सूची को साबित किया जिसे पी2/1 के रूप में चिह्नित किया गया था। गवाह मुखबिर है और उसने अपनी मुख्य में कहा कि पूछताछ के दौरान, पीड़िता ने बताया कि ए1 और सह–दोषी रानी कुमारी उर्फ रानी परवीन द्वारा उस पर हमला किया गया था और उनके द्वारा उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था और हर दिन 8–10 व्यक्ति उसके साथ यौन संबंध स्थापित करते थे।इस गवाह का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पक्ष में जाता है और ए1 के घर से आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी को साबित करने के लिए पर्याप्त है और पीड़ित के आरोपों का भी समर्थन करता है।यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि निचली अदालत में ए1 को वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़िता के सामने पेश किया गया था और पीड़िता ने उसकी पहचान की थी।पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों के साथ–साथ बरामदगी के आलोक में।

ए1 के घर से आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के आलोक में, ए1 के अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने और उसके घर को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने और पीड़ित को वेश्यावृत्ति में मजबूर करने और उक्त गतिविधि से कमाई करने और पीड़ित को इस इरादे से हिरासत में रखने के अभियोजन पक्ष के आरोप कि वह उसकी सहमति के बिना कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाएगी, विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, इसलिए, आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत अपराधों के लिए ए–1 की सजा भी उचित और कानूनी प्रतीत होती है।

26. जहाँ तक ए2 से ए5 की दोषसिद्धि की वैधता का संबंध है, इस न्यायालय को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत उनकी दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं। हालाँकि ये अपीलकर्ता ए1 के घर में मौजूद पाए गए थे जब पुलिस दल ने उक्त घर पर छापा मारा था, लेकिन पीड़ित लड़की ने उनमें से किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा और उसने उनमें से किसी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया और यहां तक कि जब उन्हें निचली अदालत में वीडियो कॉल के माध्यम से उसके सामने पेश किया गया तो भी उसने

उनकी पहचान नहीं की, इसलिए केवल ए1 के घर में इन अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के कारण, उन्हें पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना उचित और कानूनी नहीं होगा और इसके अलावा, इन अपीलकर्ताओं ने बचाव किया कि वे ए1 के घर गए थे। बिजली का बिल तैयार करने गए और ए3 के कब्जे से, ईपीएसओएन मशीन जो बिल उत्पन्न करने में उपयोग की जाती है, बरामद की गई और अपीलकर्ता ए2 और ए4 को बिजली विभाग का कर्मचारी कहा जाता है और उनके अनुसार, ए5 उनके साथ उनके साथी के रूप में मौजूद था।

इस साक्ष्य के साथ–साथ ए2 से ए5 के संबंध में पीड़ित के साक्ष्य पर विचार करते हुए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत उनकी दोषसिद्धि उचित और कानूनी नहीं लगती है और इसके लिए इस न्यायालय से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

27. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से सामने आने वाले उपरोक्त और चर्चा किए गए साक्ष्यों और परिस्थितियों के लिए, यह अदालत यह राय बनाती है कि ए1–अनीता देवी ने पीड़ित को अपने घर में बंद कर दिया, पीड़ित को वेश्यावृत्ति से गुजरने के लिए मजबूर किया और कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित किए और अपीलकर्ता ने वेश्यावृत्ति गतिविधि चलाने के लिए अपने घर के परिसर का उपयोग किया और पीड़ित को वेश्यावृत्ति के अधीन करके धन अर्जित किया और अभियोजन पक्ष भी यह साबित करने में सफल रहा कि पीड़ित की अल्पवयस्कता और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी जब कथित घटना उसके साथ की जा रही थी।इस प्रकार, आई. टी. पी. अधिनियम की धारा 3,4,5 और 6 के तहत और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी अनीता देवी (ए1) की दोषसिद्धि उचित और कानूनी प्रतीत होती है और इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, इसलिए, **अपीलार्थी अनीता देवी की दोषसिद्धि को एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है और उसकी आपराधिक अपील सं. आप.अपील (एकल पीठ) सं. 3181/2022 खारिज हो जाता है**

28. अपीलार्थी ए2–अमरजीत कुमार, ए3–गौरव कुमार, ए4–सुमित कुमार और ए5–हिमांशु कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया है, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है और फैसले और आदेश में उन्हें दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है **पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 को इसके द्वारा केवल ए2 से ए5 तक की**

सीमा तक अलग रखा गया है और उनकी अपील संख्या। आप. अपील (एकल पीठ) सं. 4009/2022 अनुमत है।

29. चूंकि अपीलकर्ता अमरजीत कुमार, गौरव कुमार, सुमित कुमार और हिमांशु कुमार को पहले ही इस अदालत की एक समन्वित पीठ द्वारा दिनांक 21.08.2023 के आदेश के माध्यम से जमानत दे दी गई है, इसलिए उनकी रिहाई के लिए किसी विशिष्ट आदेश की आवश्यकता नहीं है और उन्हें और साथ ही उनके प्रतिभू को उनके संबंधित जमानत बांड से मुक्त कर दिया जाता है जो रद्द हो जाएगा।

30. निर्णय की प्रति को आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए तुरंत निचली अदालत के साथ–साथ संबंधित जेल प्राधिकरण को भेजा जाए।

31. चूंकि दोनों आपराधिक अपील और आप. अपील (एकल पीठ) सं. 3090/2022 उसी निर्णय और आप. अपील(एकल पीठ) सं.3090/2022 से उत्पन्न हुआ है। अपीलार्थी के किशोरावस्था की याचिका के साथ–साथ अंतिम सुनवाई निर्धारण के लिए चल रहा है। जिसमें निचली अदालत के अभिलेख की आवश्यकता होगी, इसलिए निचली अदालत के अभिलेख को आप. अपील(एकल पीठ) सं. 3090/2022 के मामले के अभिलेख के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

वार्षिकी/–

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।